



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i).

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2017/ ज्येष्ठ 22, 1939

No. 470]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2017/ JYAISTHA 22, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2017

सा.का.नि. 571(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) (योधक, अराजपत्रित, समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) (योधक, अराजपत्रित, समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल, निरीक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष) (योधक, अराजपत्रित, समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. पद सख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. इन नियमों की अनुसूची में,-

(क) स्तंभ (4) में,-

(i) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर;"

(ii) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"स्तर - 7 (44900-142400 रुपये);"

(ख) स्तंभ 11 में "प्रतिनियुक्ति" द्वारा शीर्ष के अधीन:-

- (i) मद (क) के उप-मद (ii) में "वेतन बैंड-2 (रु. 9300-34800) और ग्रेड वेतन रु. 4200" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (रु. 35400-112400/-)" शब्द और अंक रखे जायेंगे;
- (ii) टिप्पण में मद (iii) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 17/122/2016-कार्मिक/सीसुबल]

प्रशांत निकम, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.-751(अ) तारीख 08 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2017

G.S.R. 571(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force, Inspector (Librarian) (Combatised, Non - Gazetted, Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Inspector (Librarian) (Combatised, Non-Gazetted, Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into Force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Border Security Force, Inspector (Librarian) (Combatised Non-Gazetted, Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2012, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of post, classification and Level in the pay matrix,— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule annexed to these rules."
3. In the said rule, in the schedule,-
 - (a) in column (4),-
 - (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
"Level in the pay matrix";
 - (ii) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
"Level-7 (Rs. 44900-142400/-)";
 - (b) in column (11), under the sub-heading "By Deputation",-
 - (i) in item (a), sub-item (ii), for the words and figures "pay band -2 in the scale of Rs. 9300-34800 and Grade Pay Rs. 4200/-", the words and figures " Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-)" shall be substituted;
 - (ii) in Note, item (iii) shall be omitted.

[F. No. 17/122/2016-Pers/BSF]

PRASHANT NIKAM, Director (Pers)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub- Section (i) vide notification number G.S.R. 751(E), dated the 8th October, 2012.